

कार्यालय :— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय आदेश संख्या :— ३५

राँची—२ दिनांक :— १५/५/१५

वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिसूचना संख्या सं०सं०—४ / यो० बजट—४२ / २०१०—२३७१ व०प०, दिनांक ०५.०५.२०१५ द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक १५.०५.१५ को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त सीसल वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा दर का अनुमोदन किया गया। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रेत्र से प्राप्त राशि से क्रियान्वयन की जाने वाली सीसल वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष २०१५—१६ के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

सीसल वृक्षारोपण हेतु कार्य दर

पौधों की संख्या प्रति हेठले ८१५०

मजदूरी
दर 187.43 रु० प्रति मानव दिवस

क्रम सं	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस प्रति हेठले	सामग्री रु० में	मजदूरी रु० में	कुल व्यय रु० में	अमियुक्ति
1.	सर्वेक्षण एवं डिमाकेशन	हेठले	३	०.००	५६२.२९	५६२.२९	
2	झाड़ी सफाई						
2.1	झाड़ी रहित	हेठले	०	०.००	०.००	०.००	
2.2	सामान्य झाड़ी	हेठले	७	०.००	१३१२.०१	१३१२.०१	
2.3	घनी झाड़ी	हेठले	१०	०.००	१८७४.३०	१८७४.३०	
3.1	ट्रैच घेरान — ऊपर की चौड़ाई १.८३ मी., नीचे की चौड़ाई १.२२ मी., गहराई १.२५ मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)	चेन	२५	०.००	४६८५.७५	४६८५.७५	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रैच खोदी गयी है तो ट्रैच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। मजदूरी से कार्य करने के प्रबोधन करने के समय यह संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदम पर्याप्त न हो।

3.2	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं0 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	चेन	2	1963.79	374.86	2338.65	स्थाल विशेष पर मशीन द्वारा ट्रैच की खुदाई वन संरक्षक से अनुपाति प्राप्त कर की जा सकती है। सामानी की राशि मशीन कार्य हेतु है।
3.3	पत्थर धोरान— ऊपर की चौड़ी 0.30 मी0, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी0 उंचाई 1.00 मी0	चेन	25	0.00	4685.75	4685.75	
3.4	झाड़ी धोरान	चेन	6	25.00	1124.58	1149.58	
4	मृदा कार्य 0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.	हे0	132	0.00	24740.76	24740.76	
5	अंश पौधशाला कार्य— बुलबिल पर आधारित पौधशाला स्थानीय रूप से उपलब्ध रहने पर 7380 पौधे कार्य अवधि एक वर्ष बुलबिल संग्रहण सहित	हे0	163	5748.00	30551.09	36299.09	
6	विविध कार्य छायांकन प्रचार प्रसार मुद्रण संव्यक्ति कार्य	हे0	0	150.00	0.00	150.00	
सामान्य कार्य (तितारिका तथा)							
1.	पौधशाला कार्य (आशिक) रात्रि प्रहरी सहित	हे0	57	0.00	10683.51	10683.51	
2.	वृक्षारोपण	हे0	145	0.00	27177.35	27177.35	
3.	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	145	0.00	27177.35	27177.35	
4.	सुरक्षा कार्य	हे0	8	0.00	1499.44	1499.44	
5.	सामग्री (बीज, सर्वरक खाद, रसायन आदि)	हे0	0	4133.00	0.00	4133.00	
6.	ट्रैच के बर्न पर धोरान हेतु बीज रोपण	हे0	2	0.00	374.86	374.86	
7.	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)	हे0	0	150.00	0.00	150.00	
सामान्य कार्य (तितारिका तथा)							
1.	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	145	0.00	27177.35	27177.35	
2.	उर्वरक एवं रसायन	हे0	0	4133.00	0.00	4133.00	
3.	सुरक्षा कार्य	हे0	12	0.00	2249.16	2249.16	
4.	धोरान मरम्मति	हे0	5	0.00	937.15	937.15	
5.	मृत पौधों का बदलाव	हे0	15	1100.00	2811.45	3911.45	
सामान्य कार्य (तितारिका तथा)							
1.	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	145	0.00	27177.35	27177.35	
2.	उर्वरक एवं रासायनिक खाद आदि	हे0	0	4133.00	0.00	4133.00	
3.	सुरक्षा कार्य	हे0	12	0.00	2249.16	2249.16	

- (3) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासायनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्प्स (PACS & LAMPS) से अथवा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।
- (4) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।

ह०/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक :- 472

दिनांक :- 19/5/15

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह— कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, राँची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची